तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकाश प्रजापति बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 156 / 2022	
06-07-2022	अपीलार्थी प्रकाश प्रजापति, निवासी हनुमान नगर, हनुमान मंदिर के पास झालागंड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.02.. 2022 में (1) ग्राम पंचायत झालामण्ड में वर्ष 2021–2022 का वार्षिक प्लान की कॉपी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 324 दिनांक 06.04.2022 के सूचना शुल्क राशि जमा कराने का पत्र जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) से जरिये पत्रांक 1668 दिनांक 06.07.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, लूणी से संबंधित है इस संबंध में प्रार्थी प्रकाश प्रजापति को कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 28.06.2022 को सूचित कर दिया गया। यद्यपि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत झालामण / विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी कार्यालय से संबंधित है, परन्तु रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 24.02.2022 पर समय पर कार्यवाही नहीं की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक माह के भीतर करना चाहिए तथा सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित होने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नियत अवधि में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करना चाहिए। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समय पर उचित निस्तारण नहीं करना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है, जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विधिसम्मतः निस्तारण नियत अवधि में करें। चूंकि चाही गई सूचना ग्राम पंचायत झालागंड / पंचायत समिति लूणी कार्यालय से संबंधित है अतः प्रार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन कर प्राप्त करनी चाहिए। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	